न्यायालय अति. जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 33/2022
GCMS Case No. : 2022/155

अपीलाण्ट —	बनाम	रेस्पोडेण्ट —
कमला पत्नी डाउसिंह जाति रावत निवासी खोडिया, तहसील सोजत, जिला पाली		1. कंवरी देवी पत्नी पेमाराम, जाति भांड निवासी खोडिया, तहसील सोजत, 2. भीमसिंह पुत्र डाउसिंह जाति रावत निवासी खोडिया, तहसील सोजत 3. पूरणसिंह पुत्र डाउसिंह जाति रावत निवासी खोडिया तहसील सोजत 4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) सोजत, तहसील सोजत जिला पाली

"राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955"

उपस्थित :—

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मीनारायण वैष्णव।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री राजूराम हरियाल।

—:: आदेश ::—

दिनांक : 26/05/2025

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956 के तहत तहसीलदार सोजत द्वारा प्रकरण संख्या 03/2022 बअनवान कंवरीदेवी बनाम कमला वगैरा में पारित आदेश दिनांक 28.06.2022 के विरूद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 3 वक्त बहस अनुपस्थित होने से अधिवक्ता अपीलाण्ट एवं अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने दौराने बहस अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया ग्राम खाडिया तहसील सोजत के खसरा संख्या 742 रकबा 0.0600 हैक्टेयर कृषि भूमि आयी हुई है, जिसका मौके एवं राजस्व रेकर्ड में किसी प्रकार का बंटवारा नहीं किया गया है। जैर आराजी के सम्बन्ध में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने दिनांक 29.10.2021 को तहसीलदार सोजत के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(क) राजस्थान काश्ताकरी अधिनियम का पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

दिनांक 08.10.2022 को प्रकरण दर्ज किया गया और उक्त प्रकरण में मौका रिपोर्ट दिनांक 20.12.2021 को प्राप्त हुई। जब प्रकरण वर्ष 2022 में दर्ज किया गया हो तो उसकी मौका रिपोर्ट दिनांक 20.12.2021 को कैसे प्राप्त हो सकती है। जैर आराजी पर पक्के निर्माण किये गये है और अपीलाण्ट के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों का भी उक्त आराजी पर निर्माण किया गया है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की जाति भांड न होकर भाट है तथा अपीलाण्ट के दादा ससुर कुपसिंह पुत्र पन्नेसिंह ने जैर आराजी के पूर्व मालिक हिमता पुत्र भुरा व पेमा पुत्र हिमता भाट द्वारा दिनांक 25.06.1975 को 500/– रूपये में जरिये बैचाण इकरारनामा खरीद कर कब्जा प्राप्त किया तथा तब से लगायत आज दि तक अपीलाण्ट के पूर्वजों व अपीलाण्ट का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। लगभग 47 वर्षो तक अपीलाण्ट का निर्विवाद रूप से बिना उजर एतराज के कब्जा चला आ रहा है। 47 वर्षो बाद रेस्पोडेण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया जो लिमिटेश बार्ड है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने नजरअदांज कर दिया। जैर आराजी को हमने विधिवत् तरीके से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था इसलिये अपीलाण्ट अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 3 एक ही पक्ष थे। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तथ्यों की जांच किये विधिविरूद्ध तरीके से पारित अपीलाधीन आदेश को अपास्त फरमावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को अनुसूचित जाति की भूमि अतिक्रमी माना है तथा अपीलाण्ट अतिक्रमी साबित होने से अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 183(ख) के तहत अपीलाण्ट को बेदखली के आदेश पारित किये है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के पूर्वजों ने जैर आराजी का कोई बेचाण नहीं किया तथा अधिवक्ता अपीलाण्ट ने भी अपने पक्ष में हुये जैर आराजी के बेचाण के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज भी पेश नहीं किये। रेस्पोडेण्ट की जाति भांड है जिसे अपीलाण्ट गलत तरीके से भाट सिद्ध करना चाहते है, जो कि नहीं है तथा जैर आराजी की जमाबन्दी में भी रेस्पोडेण्ट की जाति भांड ही अंकित है जो कि एक अनुसूचित जाति की महिला है। इसलिये अपीलाण्ट जैर आराजी पर अतिक्रमी होने से अधीनस्थ न्यायालय के विधि के परिपेक्ष में निर्णय पारित किया है, जो नियमानुसार है। अतः अपीलाण्ट द्वारा बिना विधिक आधारों के प्रस्तुत अपील को खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन करते हुये सम्पूर्ण पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। जैर अपील तहसीलदार सोजत द्वारा प्रकरण संख्या 03/2022 बअनवान कंवरीदेवी बनाम कमला वगैरा में पारित आदेश दिनांक 28.06.2022 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता अपीलाण्ट का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि रेस्पोडेण्ट की जाति भांड न होकर भाट है, जो कि अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के सदस्य नहीं है एवं रेस्पोडेण्ट की जाति भाट होने से ग्राम खोडिया तहसील सोजत के खसरा संख्या 742 के पूर्व खातेदार हिमता पुत्र भुरा व पेमा पुत्र हिमता भाट ने दिनांक 25.06.1975 को जैर आराजी का बैचाण अपीलाण्ट के पूर्वजों के पक्ष में कर दिया और कब्जा सुर्पूद कर दिया। विपक्षी अधिवक्ता ने अधिवक्ता अपीलाण्ट के उज्रों का खण्डन करते हुये

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

निवेदन किया कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की जाति भांड ही है तथा उनके पूर्वजों द्वारा ऐसा कोई बेचाण नहीं किया गया, अपीलाण्ट जैर आराजी पर अतिक्रमी है, जिन्हें अपीलाधीन आदेश द्वारा बेदखल किया गया। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा बेचाण के सम्बन्ध में प्रस्तुत दस्तावेज में अंकित तथ्यों के आधार पर रेस्पोडेण्ट की जाति भाट होना बताया है परन्तु उक्त दस्तावेज में अंकित तथ्य प्रथमदृष्टया कूटरचित प्रतीत होते है क्योकि यह दस्तावेज न तो प्रमाणित है और न ही किसी पंजीयन कार्यालय में पंजीबद्ध है। साथ ही साक के रूप में उदयसिंह एवं हिम्मतसिंह का नाम अंकित है लेकिन उनके हस्ताक्षर नहीं है तथा अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत उक्त दस्तावेज में अंकित दिनांक में भी वैदिक एवं आधुनिक गणित के अंकों का मिश्रण है, जो सन्देहास्पद प्रतीत होता है। यदि अपीलाण्ट को ऐसा प्रतीत होता है कि वे अतिक्रमी नहीं थे तथा उन्होनें जैर आराजी पूर्व खातेदार जिनकी जाति भाट थी, से खरीद की है तो उन्हें सक्षम न्यायालय में खातेदारी घोषणा का वाद दायर करना चाहिये था, जो कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों अनुसार नहीं किया गया और न ही अधिवक्ता अपीलाण्ट ने इस सम्बन्ध में कोई कथन किये। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपने कथनों के समर्थन में ऐसे कोई ठोस दस्तावेज/साक्ष्य पेश नहीं किये जिससे यह जाहिर हो सके कि रेस्पोडेण्ट की जाति भांड न होकर भाट है। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की जाति भांड होने से उपखण्ड अधिकारी, रायपुर द्वारा दिनांक 07.12.2015 को अनुसूचित जाति का "जाति प्रमाण–पत्र" जारी किया गया है, साथ ही सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार तथा राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान की वेबसाईट पर उपलब्ध अनुसूचित जाति की सूची में भांड जाति सम्मिलित है। लिहांजा उपरोक्त तथ्यों एवं दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेण्ट की जाति भांड है, जो कि अनुसूचित जाति में शामिल है। अतः अधिवक्ता अपीलाण्ट का उपरोक्त कथन साबित नहीं होने के दशा में स्वीकार योग्य नहीं है। इस सम्बन्ध में 1995 राजस्थान विधि पत्रिका 4(7) बद्री प्रसाद बनाम श्योलाल और अन्य में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "जहां एक अनुसूचित जाति के सदस्यों ने किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में विक्रय किया है, जो अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है, तो उस भूमि का कब्जा अनुज्ञात्मक नहीं है, वरन धारा 42(ख) के उल्लंघन में होने से वह विक्रय की तारीख से एक अतिचारी का कब्जा है।"

अधिवक्ता अपीलाण्ट का दौराने बहस अन्य उज्र यह था कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 29.10.2021 को आवेदन पेश किया गया, जिस पर दिनांक 08.10.2022 को आवेदन न्यायालय में दर्ज किया गया तो उस सम्बन्ध में पटवारी रिपोर्ट दिनांक 20.12.2021 को कैसे प्राप्त हो सकती है, इसके अतिरिक्त पटवारी रिपोर्ट अनुसार अन्य व्यक्ति भी अतिक्रमी है, जिन्हे प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया। अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने विपक्षी अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुये उज्र किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आर.टी.एक्ट की धारा 183(ख) के तहत विधिनुसार प्रक्रिया अपनाकर अपीलाण्ट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखली के आदेश पारित किये। इस सम्बन्ध में राजस्थान टिनेन्सी अधिनियम, 1955 की धारा 183 (ख) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन–जाति के सदस्य द्वारा धारित भूमि पर अतिक्रमियों (अतिधारियों) की संक्षिप्त कार्यवाही द्वारा बेदखली – (1)

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

इस अधिनियम के किसी उपबंध मे कुछ भी बात होते हुये भी वह अतिक्रमी (अतिचारी) जिसने कि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा धारित किसी भूमि पर बिना विधिपूर्ण प्राधिकार के कब्जा कर लिया है अथवा कब्जा बनाए रखा है, उस व्यक्ति अथवा उन व्यक्तियों के आवेदन पर, जो कि उसके बेदखल कराने के हकदार हों, (या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी लोक सेवक के विहित रीति से आवेदन करने पर) बेदखली का दायी होगा और प्रत्येक उस कृषि वर्ष के लिए अथवा उसके भाग के लिए जिसमें कि वह ऐसे कब्जे में रहा है शास्ति के रूप में ऐसी राशि देने का और दायी होगा जो कि वार्षिक लगान से (पचास गुनी) तक हो सकेगी। इसी प्रावधानों के अनुरूप रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के द्वारा तहसीलदार सोजत के समक्ष दिनांक 29.10.2021 को इसी धारा के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा इस प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध मे पटवारी खोडिया द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 20.12.2021 के अनुसार अपीलाण्ट ने जैर आराजी पर सीमेन्ट के चद्दर का पत्थर रोपकर झौपडी मय ट्यूबवेल बना रखा है, जो कि अनुसूचित जाति की जमीन पर काबिज है। अपीलाण्ट अनुसूचित जाति की खातेदारी भूमि पर काबिज होने से अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण दिनांक 03.02.2022 को दर्ज किया, जिसमें अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 3 को साक्ष्य/सबूत पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मंडल के न्यायिक दृष्टान्त देवीलाल बनाम रामदयाल (मृतक) के विधिक प्रतिनिधि (1995 राजस्थान विधि पत्रिका 35) के अनुसार "धारा 44 एवं 45 में यह प्रावधित किया गया है कि कोई भी काश्तकार अपनी जमीन दूसरे को काश्त पर दे सकता हैं परन्तु वह ऐसा अधिनियम के प्रावधित बंधनों के साथ ही कर सकता है। धारा 45 में इस प्रकार के कुछ बंधन लगाये गये है परन्तु धारा 46–ए में स्पष्ट रूप से प्रावधित किया गया है कि एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को जो कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति नहीं है अपनी जमीन काश्त करने के लिए किराये पर नहीं दे सकता। वादी एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति है एवं प्रतिवादी अपीलार्थी जाति का ब्राहम्ण है एवं अनुसूचित जाति का नहीं है, यह एक तथ्य हैं। ऐसी स्थिति मे प्रावधानों को देखते हुए अपनी जमीन विवादग्रस्त वादी या उसके भाई प्रतिवादी अपीलार्थी को काश्त पर दे ही नहीं सकते थे और ऐसी स्थिति में आज यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि दावे के कुछ वर्ष पहले आधी बटाई पर प्रतिवादी अपीलार्थी को यदि भूमि विवादग्रस्त दी भी गई थी तो इसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि प्रतिवादी अपीलार्थी होल्डर ओवर द्वारा काश्तकार या उप काश्तकार हो गया हैं।" तथा माननीय राजस्व मंडल के अन्य न्यायिक दृष्टान्त 1985 आर.आर.डी. 358 ग्यारसीराम बनाम प्रताप के अनुसार राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 42 के अधीन किसी खातेदार अभिधारी के द्वारा अपनी जोत के सम्पूर्ण हित या उसके किसी भाग का विक्रय, दान या वसीयत तब शून्य होगी, यदि ऐसा विक्रय, दान या वसीयत किसी अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में है जो अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है, या किसी अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में है जो अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है। यह तयशुदा विधि है कि राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 42 के उपबंधों के

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

उल्लंघन में किया गया कोई अन्तरण आरंभ से ही शून्य है। इस प्रकार अनुसूचित जाति के सदस्य के द्वारा अनुसूचित जनजाति के सदस्य को किया गया अन्तरण, राजस्था अभिधृति अधिनियम की धारा 42(ख) के उल्लंघन में था। कोई भी व्यक्ति, जो किसी ऐसे अन्तरण के अधीन कब्जा लेता है, जो कि प्रारम्भ से ही शून्य है, अन्तरण की तारीख से ही अतिचारी है, इसलिये ऐसे मामलों में उसकी धारा 183 ख लागू होगी। उक्त अन्तरण के होने पर भी मूल खातेदार उक्त भूमि का खातेदार बना रहेगा, और वह ऐसा व्यक्ति होगा, जो अतिचारी को बेदखल करने का हकदार होगा।

अधिवक्ता अपीलाण्ट का अन्य उज्र यह था कि रेस्पोडेण्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में 47 वर्ष बाद आवेदन पेश किया जो कि म्याद बाहर है। अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने कथन किया कि धारा 183 के तहत समय सीमा बाध्यकारी नहीं है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त 2015 आर.आर.डी. पृष्ठ 345 हीरा माली बनाम मांगीलाल व अन्य के अनुसार "राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183–ख तथाकथित विक्रय पत्र आरम्भ से ही शून्य–ऐसे शून्य दस्तावेज पर मियाद अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं। तथा न्यायिक दृष्टान्त 2014 आर.आर.डी. पृष्ठ 784–789 उगमसिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान और अन्य के अनुसार धारा 183–ख तहसीलदार द्वारा अनुसूचित जाति के आवेदन पत्र में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183–ख को मियाद बिन्दु पर खारिज–अपील में कलेक्टर ने तहसीलदार के निर्णय को पलट दिया और गैर दलितों का भूमि पर अतिक्रमिक माना। उच्च न्यायालय (डी. बी.) ने अभिनिर्धारित किया कि जिला कलेक्टर, राजस्व मण्डल, उच्च न्यायालय की एकलपीठ ने निर्णय धारा 183–ख के प्रायोजन अनुसार लिया है। उच्च न्यायालय में यह भी अभिनिर्धारित किया कि – राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183–ख का उद्देश्य (दलित) अनुसूचित जाति में व्यक्तियों के विरूद्ध किये जा रहे अत्याचार, नांइसाफ से उनको मुक्ति दिलाना है।

समग्रतः सम्पूर्ण विवेचन से यह स्पष्ट है कि अपीलाण्ट, जो कि जैर आराजी पर अतिक्रमी था, जिसके विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमों के अनुरूप कार्रवाई कर आदेश पारित किया गया। यदि अपीलाण्ट के पक्ष में ऐसे कोई दस्तावेज होते जिससे वह यह साबित कर सके कि उन्होनें जैर आरजी अनुसूचित जाति से भिन्न किसी व्यक्ति से खरीद की और तद्नुरूप कब्जा प्राप्त किया, तो उन्हें निश्चित ही जैर आराजी में खातेदारी घोषणा के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय में वाद दायर करना चाहिये था, परन्तु हस्तगत प्रकरण मे पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि अपीलाण्ट द्वारा ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गयी और न ही अधिवक्ता अपीलाण्ट ने इस सम्बन्ध में कोई कथन किये। साथ ही अधिवक्ता अपीलाण्ट ने दौराने बहस कथन किया कि पटवारी रिपोर्ट अनुसार जैर आराजी पर अपीलाण्ट के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति भी अतिक्रमी है, इस सम्बन्ध में तहसीलदार सोजत को निर्देशित किया जाता है कि पटवारी रिपोर्ट में अंकित तथ्यों के अनुरूप यदि जैर आराजी पर किसी व्यक्ति का अतिक्रमण है, जो अनुसूचित जाति से सम्बन्धित नहीं है तो उनके विरूद्ध नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप नियमानुसार उचित कार्रवाई करे। हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेण्ट के आवेदन पर पटवारी खोडिया की रिपोर्ट के क्रम में दर्ज प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान टिनेन्सी अधिनियम, 1955

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

की धारा 183–ख मे वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया, जो कि विधिसम्मत है। जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है तथा तहसीलदार सोजत द्वारा प्रकरण संख्या 03/2022 बजनवान कंवरीदेवी बनाम कमला वगैरा में पारित आदेश दिनांक 28.06.2022 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 28/05/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)